



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2008/श्रावण 10, 1930

No. 1093]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2008/SRAVANA 10, 1930

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2008

New Delhi, the 29th July, 2008

का.आ. 1908(अ).—रसायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुक्रम में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 13 सितम्बर, 2006 की सं. का.आ. 1490(अ) के तहत अधिसूचना में संशोधन करती है, नामतः—

S.O.1908(E).— In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification *vide* S.O.1490 (E), dated 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette namely :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2, 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

In the said notification, for serial Numbers 2, 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- “2. श्रीमती अजंता दयालन - निदेशक, (संयुक्त सचिव, रासायनिक हथियार समझौता के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण)
3. श्री एस. दत्त मजूमदार - निदेशक (महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय)
4. श्री जी. एस. संधू - निदेशक (संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)”

- “2. Smt. Ajanta Dayalan — Director (Joint Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention).
3. Shri S. Dutt Majumdar— Director (Director General, Directorate of Revenue Intelligence)
4. Shri G.S. Sandhu — Director (Joint Secretary, Deptt. of Chemicals and Petrochemicals).”

[सं. 40020/20/2007-रसा. I]

[No. 40020/20/2007-CH. I]

जी. एस. संधू, संयुक्त सचिव

G. S. SANDHU, Jt. Secy.